सन २०२०-२१ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत वक्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत......

# महाराष्ट्र शासन

**कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१००/३अे,**

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२०

**वाचा:**

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. आऊयो-२४१६/प्र.क्र.१७७/४-अे, दि. ९.८.२०१७

२. कृषि व पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. सूसिंयो-२११७/प्र.क्र.२२७/४अे, दि .१८.०९.२०१७

३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. आऊयो-२४१७/प्र.क्र.१२७/३-अे, दि. ३०.१२.२०१७

४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१९/प्र.क्र.९०/३अे, दि .२३.०७.२०१९

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि .०४.०५.२०२०

**प्रस्तावना:-**

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन दि. ३० डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत आदिवासी उपयोजना सुधारित करून बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, शेत तळयांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, परस बाग, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.

कोविड-१९ च्या पार्श्वूमिवर अर्थसंकल्पिय निधीच्या ३३ टक्के निधी सन २०२०-२१ करिता आदिवासी विकास विभागाने बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) क्षेत्राबाहेरील कार्यक्रमासाठी रू१३.२१ /- कोटी(रू. तेरा कोटी एकविस लक्ष फक्त)व क्षेत्रांतर्गत कार्यक्रमासाठी रु.२५.१० /- कोटी (रु. पंचविस कोटी दहा लक्ष फक्त)असा एकूण रू. ३८.३१ /-कोटी (रु. अडतीस कोटी एकतिस लक्ष फक्त) निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध करुन दिला आहे.

सद्यस्थितीत कोविड-१९ पॅनडॅमिक च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाने दि. १६ एप्रिल २०२० च्या परिपत्रकान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्रशासकिय विभाग स्तरावर विशिष्ट उद्दिष्टांतर्गतच निधी वितरित करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. सदर योजनेकरीता ३१-सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर आणि ३३-अर्थसहाय्य या उद्दीष्टांखाली निधी अर्थसंकल्पित आहे.

तसेच दि. ४ मे २०२० च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या फक्त ३३ टक्के निधीच उपलब्ध होणार आहे. सदर उपलब्ध

होणाऱ्या निधीतून राबवावयाच्या योजनांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा नियोजन समितीस आहे.

चालू वर्षासाठी सदर निधीच्या मर्यादेत योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करून योजनेंतर्गत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे -

**शासन निर्णय:**

१. सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील), क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रू. रू१३.२१ /- कोटी(रू. तेरा कोटी एकविस लक्ष फक्त) आणि क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी रु.२५.१० /- कोटी (रु.पंचविस कोटी दहा लक्ष फक्त) याप्रमाणे एकूण रू.३८.३१ /-कोटी (रु. अडतीस कोटी एकतीस लक्ष फक्त) निधी मंजुरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. या योजनेकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात यावी.

३. योजनेसाठी चालू वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत तसेच कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करावी. योजनेंतर्गत चालू वर्षी जिल्हानिहाय मंजूर केलेल्या तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ व ब येथे नमूद असून सदर योजनेचा निधी चालू वर्षी संबंधित लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

४. योजनेंतर्गत बाबींच्या अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वर्ग करावी.

५. सदर योजनेची जिल्हा परिषदेमार्फत अभिकरण योजना म्हणून अंमलबजावणी करण्यात यावी . त्याकरिता जिल्हा परिषदेकडील कृषि विभाग व राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या समन्वयाने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सविस्तर सूचना निर्गमीत कराव्यात त्यामध्ये, योजनेंतर्गत प्रत्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा विहित करावी.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०४१८३१३००५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Ashok Maroti Atram

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, serialNumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00bee126e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram
Date: 2020.09.04 18:32:39 +05'30'

**( अशोक आत्राम )**

**सह सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत:**

१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

२. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

३. आयुक्त कृषि , महाराष्ट्र राज्य पुणे.

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक,

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह)

६. संचालक (फ़लोत्पादन ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,

७. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ,

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त

९. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक

१०. अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती,

११. सर्व आदिवासी विकास उपआयुक्त,

१२. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ,

१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त,

१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

१५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला,

१८. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद

१९. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई.

२०. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर

२१. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर

२२. वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२

२३. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२

२४. निवड नस्ती.

परिशिष्ट - अ

(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१००/३-अे, दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र)

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना-क्षेत्राबाहेरील कार्यक्रमासाठी जिल्हानिहाय वार्षिक लक्षांक

(रु. हजारात)

| मागणी क्र - टी-९ | | | |
|---|---|---|---|
| २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , इतर मागासवर्ग व | | | |
| ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना | | | |
| ३३ - जिल्हा योजना | | | |
| Sub scheme : TD०३०००१ - Distribution of inputs for farmsregional improved tools and equipments plan (otsp) (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्राबाहेरील) | | | |
| अ.क्र. | बाब | जिल्हा | रक्कम |
| १ | ३३ | अहमदनगर | ४९५० |
| २ | ३३ | अकोला | ३३०० |
| ३ | ३३ | अमरावती | १८१५ |
| ४ | ३३ | औरंगाबाद | १००२० |
| ५ | ३३ | बीड | १२९१ |
| ६ | ३३ | भंडारा | १६५० |
| ७ | ३३ | बुलढाणा | ५४४५ |
| ८ | ३३ | चंद्रपुर | ९६१९ |
| ९ | ३३ | धुळे | २९५८ |
| १० | ३३ | गडचिरोली | १६५० |
| ११ | ३३ | हिंगोली | ७२६० |
| १२ | ३३ | जळगाव | ५२८० |
| १३ | ३३ | जालना | २४३७ |
| १४ | ३३ | कोल्हापूर | ६६० |
| १५ | ३३ | लातूर | ४२७६ |
| १६ | ३३ | नागपूर | १३२०० |
| १७ | ३३ | नांदेड | १६५०० |
| १८ | ३३ | नंदुरबार | ३६३ |
| १९ | ३३ | नाशिक | ६६०० |
| २० | ३३ | उस्मानाबाद | १६५० |
| २१ | ३३ | परभणी | १२०६ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २२ | ३३ | पुणे | १६५० |
| २३ | ३३ | रायगड | १९८० |
| २४ | ३३ | सांगली | ९९ |
| २५ | ३३ | सातारा | ६६० |
| २६ | ३३ | सोलापूर | १६५० |
| २७ | ३३ | ठाणे | २०४६ |
| २८ | ३३ | वर्धा | ११५५० |
| २९ | ३३ | वाशिम | ३३०० |
| ३० | ३३ | यवतमाळ | ४३०९ |
| ३१ | ३३ | जळगाव | २७०६ |
| एकूण | | | १३२०८२ |

परिशिष्ट-ब

(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१००/३-अे, दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र)

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना-क्षेत्रांतर्गत कार्यक्रमासाठी जिल्हानिहाय वार्षिक लक्षांक

(रु. हजारात)

| मागणी क्र - टी-९ | | | |
|---|---|---|---|
| २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व | | | |
| ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना | | | |
| ३१ - जिल्हा योजना | | | |
| Sub Scheme : TD०३०००२ Various agricultural development programme.Plan (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत) | | | |
| अ.क्र. | बाब | जिल्हा | रक्कम |
| १ | ३१ | पालघर | ३३० |
| २ | ३१ | अहमदनगर | ८२५० |
| ३ | ३१ | अमरावती | ९९०० |
| ४ | ३१ | चंद्रपूर | १८१५० |
| ५ | ३१ | धुळे | १३३४० |
| ६ | ३१ | गडचिरोली | ३३००० |
| ७ | ३१ | गोंदिया | ७७८८ |
| ८ | ३१ | नागपूर | २४७५ |
| ९ | ३१ | नांदेड | २६४०० |
| १० | ३१ | नंदुरबार | ६११६१ |
| ११ | ३१ | नाशिक | २६४०० |
| १२ | ३१ | पालघर | २३१०० |
| १३ | ३१ | पुणे | ४९५० |
| १४ | ३१ | रायगड | ८२५ |
| १५ | ३१ | ठाणे | ४९५० |
| १६ | ३१ | यवतमाळ | १०००७ |
| एकूण | | | २५१०२७ |